

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शंकरलाल बनाम् कैलाशचन्द्र

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्रावली अस्थाई निषे. मु.नं- 68/2021

27.11.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित संयोजित मूल वाद पत्र उनवानी शंकरलाल बनाम् कैलाशचन्द्र वगै० मुकदमा संख्या 77/2021 आज दिनांक को डिक्री होकर फैसल हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

